पुलिस और आप

अपने अधिकारो को जानें

यौन अपराधों के शिकार

CHRI

Commonwealth Human Rights Initiative

यौन अपराधों के शिकार

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध काफी बढ़ गया है, महिलाएं और बच्चे परिवार, घर के निकट सम्बन्धियों और सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से यौन अपराध के शिकार हो रहे है। वर्षो तक यौन अपराध से निपटने के कानून का काफी अभाव था। वर्ष 2012 से पहले बाल यौन अपराध से निपटने का कोई अलग कानून नहीं था। वर्ष 2013 के पहले यौन अपराध से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में केवल दो ही उपबन्ध थे। अनुच्छेद 376 में सीमित प्रकार के बलात्कार के ही दंड का प्रावधान था और धारा 354 में महिलाओं की मर्यादा भंग करने के दंड का प्रावधान था जो छेड़–छाड़ की आम घटनाओं पर ही लागू होता है। कानून में विभिन्न प्रकार के यौन अपराध, जिसमें अलग–अलग प्रकार की हानि, क्षति और अवनति का कानून में कोई स्थान नही था। जिसका अर्थ है कि इस प्रकार के यौन अपराध के शिकार अपराध की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते है।

अन्ततोगत्वा 2012 और 2013 में कानून में बदलाव आया। यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 (पोक्सो ऐक्ट) में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अब भारतीय दंड संहिता में बलात्कार और विभिन्न प्रकार के यौन अपराध की परिभाषा में विस्तार किया गया है। जिसमें यौन प्रताड़ना, जबरन मर्यादा भंग, वोयुरिज्म और पीछा करना शामिल है। कृपया यह ध्यान दें कि भारतीय दंड संहिता में यौन अपराध लिंग विशेष होता है। यह उपबन्ध (धारा 377 को छोड़कर) सिर्फ पीड़ित महिला पर ही लागू होता है जबकि अपराधकर्ता पुरूष होता है। पोक्सो अधिनियम लड़के और लड़कियों दोनों को यौन अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है।

अब पुलिस के नये कर्तव्य हो गये है और यौन अपराध से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यवाही में उन्हें विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है। यह पुस्तिका आपको नये प्रकार से यौन अपराध की घटनाओं तथा कर्तव्य और प्रक्रिया जो पुलिस को अपनानी चाहिए के बारे में बताता है।

1. **महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध** – दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 और 2018 में बलात्कार के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता में अनेक बदलाव किये गयें है और अन्य यौन अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया हैं।

बलात्कार के बारे में यह कानून क्या कहता है ?

पहले बलात्कार की परिभाषा में पुरुष लिंग का महिला की योनि में प्रवेश ही शामिल था। किन्तु अब किसी व्यक्ति द्वारा यह बलात्कार कहलाता है जब वह व्यक्ति, किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध या उसकी सहमति के बगैर –

- अपना लिंग महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है,
- कोई वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है,
- अपने मुंह को महिला की योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर लगता है,
- किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को तोड़–मरोड़ कर उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है, और
- किसी महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है।

बलात्कार के लिए दंड 10 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसे 20 वर्ष से अधिक के कठोर कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माना साहित आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। **(भा0द0स0 की धारा 375 और 376)**

गंभीर परिस्थितियों में दंड और भी कठोर हैं। उदाहरण के लिए जब कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपनी अभिरक्षा में किसी महिला का बलात्कार करता है तो दंड 20 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है। सामूहिक बलात्कार, जिसमे एक महिला का एक या अधिक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया जाता है, में 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अंत में यदि किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार के दौरान किसी महिला की मौत हो जाती है या वह स्थायी तौर पर शिथिल अवस्था में चली जाती है तो इसमे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माने का प्रावधान है। **(भा0द0स0 की धारा 376, 376क और 376घ)**

यदि कोई व्यक्ति 12 साल से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसे कठोर कारावास की सजा होगी जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड तक किया जा सकता है। **(भा0द0स0 की धारा 376 कख)**

यदि कोई व्यक्ति, जो अधिकार की स्थिति में है जैसे कि लोक सेवक या किसी जेल, महिला/बाल संस्थाओं का प्रबन्धक अपने प्रभार या परिसर के अंतर्गत किसी महिला को अपने साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है और ऐसा यौन संबंध बलात्कार में नहीं आता है तो उसे 5 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। **(भा0द0स0 की धारा 376गक)**

यदि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कार करने वाले व्यक्तियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की कठोर सजा हो सकती है। **(भा0द0स0 की धारा 376घक)**

यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करता है तो वह अपने प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि जुर्माने के साथ कारावास में बिताएगा या मृत्यु दंड का भागी होगा। **(भा0द0स0 धारा 376घक)**

वैवाहिक जीवन में यौन दुर्व्यवहार

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ की गयी यौन क्रिया या यौन यदि पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं है, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। यदि आप अपनी पति से अलग रह रही है, (चाहे आप कानूनी तौर पर अलग रह रही है अथवा नहीं) और वह आपके साथ यौन क्रिया करता है तो उसे आपकी सहमति के बगैर आपके साथ यौन क्रिया करने के लिए दंडित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में दो साल से 7 साल तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। **(भा0द0स0 की धारा 376 ख)**

---

1 पूरी सूची के लिए धारा 376(2) देखें

यदि आपका पति आपके साथ यौन दुर्व्यवहार करता है तो आप घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत और 15–18 साल के बच्चों के मामले में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दायर कर सकते है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत यौन दुव्यर्वहार में यौन प्रवृत्ति का कोई भी कृत्य जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता हो उन्हें अपमानित करता है, उन्हें बेइज्जत करता हो या उनकी गरिमा का अन्यथा उल्लंघन करता हो शामिल है

(घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 3)

अन्य यौन अपराध क्या है

नीचे दिये टेबल में 2013 में भा0द0स0 के अंतर्गत लाये गये अन्य अपराधों और दण्ड की सूची दी गयी है।

अपराध	भा0द0स0 की धारा	दण्ड
किसी पुरूष द्वारा यौन अपराध 1. अवांछनीय शारीरिक संबंध/आगे बढ़ना। 2. यौन संबंधों की मांग करना। 3. पोर्न फिल्म दिखाना या 4. यौन सम्बन्धी टिप्पणी	354 क	1, 2 और 3 सम्बन्धी अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों 4 सम्बन्धी अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों
जबरन मर्यादा भंग करना–पुरूष महिला पर उसके वस्त्र उतारने के इरादे से उस पर हमला करता है।	354 ख	3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
वोयुरिज्म जब कोई पुरूष किसी महिला का प्राइवेट तौर पर फोटो देखता हो या उसके चित्र का प्रचार करता हो।	354 ग	**पहली दोष सिद्धिः** 1 से 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना **बाद की दोष सिद्धिः** 3 से 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना
महिला का पीछा करना – कोई पुरूषः 1. किसी महिला का पीछा करता है और उसकी अपनी रूचि न दिखाने के बावजूद उससे संपर्क करने का प्रयास करता है या 2. किसी महिला द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले इंटरनेट, इमेल या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम की निगरानी करता है।	354 घ	**पहली दोष सिद्धिः** 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना **बाद की दोष सिद्धिः** 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
मानव/वों की तस्करी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अपराध है जो वह एक धमकी, दूसरे बल/दबाव का उपयोग करके, तीसरे अपहरण करके, चौथे धोखाधड़ी करके, पांचवें शक्ति का दुरूपयोग करके या छठे प्रलोभन द्वारा शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की – (क) भर्ती (ख) परिवहित (ग) आश्रयीत (घ) स्थानांतरित या (ड) व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्राप्त करता है। इस अपराध में नाबालिगों की तस्करी भी शामिल है तथा इसमें लोक सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा तस्करी भी अपराध के रूप में शामिल है। शोषण में यौन शोषण भी शामिल है।	370	**मानव दुर्व्यवहारः** 7 से 10 से वर्ष तक के कारावास और जुर्माना **एक से अधिक मानव दुर्व्यवहारः** कम से कम 10 वर्ष अवधि का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना। **नबालिगो का दुर्व्यवहारः** कम से कम 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना **एक से अधिक नाबालिगों का दुर्व्यवहारः** कम से कम 14 वर्श तक का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना **एक से अधिक बार नाबालिग के दुर्व्यवहार में दोष सिद्धि व्यक्तिः** आजीवन कारावास और जुर्माना **नाबालिग के दुर्व्यवहार में शामिल लोकसेवक या पुलिस अधिकारीः** आजीवन कारावास और जुर्माना

आप किस प्रकार पुलिस थाने में अपना मामला दर्ज करा सकते है ?

आप प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कर किसी अपराध की सूचना दे सकते है। पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति के एफ.आई.आर. को अवश्य दर्ज करेगी जिसे किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी है। दंड प्रक्रिया संहिता में वह प्रक्रिया निर्धारित है जिसका अनुकरण पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने में करती है। **(दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154)**

यदि पुलिस बलात्कार या किसी अन्य प्रकार के यौन अपराधों के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करती है तो उसे 6 माह से लेकर दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। **(भा0द0स0 धारा 166 क (ग))**

जहां तक संभव हो यौन अपराध से पीड़ित को स्वयं एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिए। कानून यह अपेक्षा करता है कि यदि आप स्वयं पुलिस थाना जाती है तो कोई महिला पुलिस अधिकारी या फिर यदि कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो महिला सरकारी अधिकारी ही आपकी एफ.आई.आर. दर्ज करेगी। यदि आप मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है (अस्थायी विकलांग भी है) तो एफ.आई.आर. आपके घर पर या आपके

पसंद के जगह पर दर्ज की जायेगी और भाषान्तरकार/विशेष शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी और इसका वीडियो भी बनाया जाना चाहिए। पुलिस से यह भी अपेक्षा की जाती है कि जितनी जल्दी संभव है वह आपके बयान को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी रिकार्ड करवाये।

(द0प्र0स0 धारा 154 (क)–(ग))

पुलिस आपको अपने घर के अलावा किसी और स्थान पर पूछतांछ के लिए आने को मजबूर नहीं कर सकती।

(द0प्र0स0 धारा 160)

बलात्कार पीड़िता की चिकित्सीय जांच

पुलिस को बलात्कार की शिकायत करने वाली महिला को उसकी शिकायत मिलने से 24 धंटे के अंदर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के पास जांच के लिए भेजनी चाहिए। **(द0प0स0 धारा 164 क)**

कानून में यह प्रावधान है कि सभी अस्पताल सरकारी या गैर–सरकारी बलात्कार की पीड़िता को तत्काल निःशुल्क फर्स्ट एड या मेडिकल उपचार प्रदान करेगा। **(द0प0स0 धारा 357 ग)**

2. बच्चों के खिलाफ यौन अपराध

बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए वर्ष 2012 पी.ओ.सी.एस.ओ. ऐक्ट लागू किया गया।

यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं दोनो पर लागू होता है। पोक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत पुरूष और महिला दोनों अपराधी हो सकते है। नीचे दिये गये टेबल से अपराध इस प्रकार हैः

अपराध	पोक्सो ऐक्ट	दण्ड
अंर्तवेधी यौन प्रहारः यदि कोई पुरूष किसी बच्ची की योनि, मुख या मूत्र मार्ग या गुदा में अपना शिश्न घुसेड़ता या उन पर अपना मुख लगाता है या किसी बालक, बालिका को उपरोक्त कोई भी कृत्य किसी अन्य व्यक्ति के साथ करने को मजबूर करता है।	3	7 वर्ष से आजीवन कारावास तक का दण्ड और जुर्माना
यौन प्रहारः कोई भी व्यक्ति यौन के इरादे से किसी बालिका/बालक की योनि, शिश्न, मूत्र मार्ग या गुदा या स्तन को स्पर्श करता है या बालक/बालिका को किसी अन्य व्यक्ति के इन्हीं अंगों को स्पर्श करने को मजबूर करता है।	7	3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
किसी बालक/बालिका का यौन प्रताड़नाः कोई भी पुरूष यौन इरादें से किसी शब्द, आवाज का प्रयोग करता है, किसी तरह की भंगिमा प्रदर्शित करता है या कोई वस्तु शरीर का भाग प्रदर्शित करता है। बालक बालिका को अपना अंग प्रदर्शित करने को मजबूर करता है या बार–बार उसका पीछा करता है, उस पर नजर रखता है या उससे संपर्क स्थापित करता है।	11	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
पोर्नोग्राफी के प्रयोजन से बच्चों का इस्तेमाल	13	5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना बाद की दोष सिद्धिः 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

अधिक गंभीर परिस्थितियों में अंर्तवेधी यौन प्रहार और अन्यथा यौन प्रहार के सम्बन्ध में काफी कठिन दण्ड का प्रावधान है। उदाहरण के लिए किसी पुलिस अधिकारी, लोक सेवक या अस्पताल के कर्मचारी द्वारा अर्न्तवेधी यौन प्रहार के अपराध में 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दण्ड और जुर्माने का प्रावधान। **(पोक्सो ऐक्ट धारा 5 और 9)**

आप किसी अपराध की सूचना पुलिस को किस प्रकार दे सकते है ?

किसी बालक/बालिका के खिलाफ किये गये यौन अपराध के मामले में आप स्थानीय पुलिस या विशेष बाल अपराध पुलिस यूनिट (एस.आई.पी.यू.) को सूचना दे सकते हैं। पुलिस शिकायत को लिखित दर्ज करेगी और शिकायतकर्ता को इसे पढ़कर सुनायेगी और वह इसे एस.आई.पी.यू. द्वारा रखी पुस्तिका में दर्ज करेगी। स्थानीय पुलिस और एस.आई.पी.यू. 24 घंटों के अंदर बाल कल्याण समिति या विशेष अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यदि कोई पीड़ित बालक/बालिका शिकायत करती है तो शिकायत को ऐसे साधारण भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए जिसकी विषय वस्तु वह आसानी से समझ सकें। यदि आवश्यक हो तो उसे एक अनुवादक या भाषान्तरकार की सेवा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। **(पोक्सो ऐक्ट धारा 19)**

यदि एस.आई.पी.यू. या स्थानीय पुलिस इस बात से संतुष्ट है कि बालक या बालिका जिसके खिलाफ अपराध किया गया है को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है जिसमें उसे किसी आश्रय गृह या नजदीकी अस्पताल में भेजा जाना शामिल है वह इसके कारण को

लिखित में रिकार्ड कर 24 घंटे के अंदर बालक/बालिका के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा। **(पोक्सो ऐक्ट धारा 19(5))**

विशेष बाल अपराध पुलिस यूनिट

बाल अपराध न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000 के अंतर्गत विशेष बाल अपराध पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है। धारा 63 अपेक्षा करता है कि प्रत्येक जिला और शहर में एक विशेष बाल अपराध पुलिस यूनिट की स्थापना की जायेगी जो बच्चों के साथ पुलिस के व्यवहार को समलित करता है और बेहतर बनाता है। यह धारा प्रत्येक पुलिस थाने को एक बाल अपराध अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी के रूप में कम से कम एक पुलिस अधिकारी को पदनामित करने का अधिकार देता है, जिसे बच्चों की देखभाल के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है।

बच्चों का बयान दर्ज करने की विशेष प्रक्रिया

पुलिस किसी बच्चे का बयान उसके घर पर ही दर्ज करती है। किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से पुलिस थाने में रोककर नहीं रखा जा सकता है। **(पोक्सो ऐक्ट धारा 24)**

जहां तक मुमकिन हो एक महिला पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक से नीचे रैंक पर न हो, बच्चे का बयान रिकार्ड करेगी। बयान दर्ज करते वक्त वह अपनी वर्दी में नहीं रहेगी और वह बयान बच्चे के माता पिता की उपस्थिति में अथवा किसी ऐसे बच्चे की उपस्थिति में जिस पर उस बच्चे का विश्वास हो, बयान दर्ज करेगी। जहां कहीं भी संभव हो पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगी कि बयान का आडियो/वीडियो रिकार्ड भी बनाया जाए। **(पोक्सो ऐक्ट धारा 24, 26)**

जांच करने वाला पुलिस अधिकारी बच्चे की जांच करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय बच्चा अभियुक्त के संपर्क में न आए। पुलिस अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि बच्चे की पहचान मीडिया तक न पहुंचे। **(पोक्सो ऐक्ट धारा 24)**

सी.एच.आर.आई. के संबंध में:

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय गैर–लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देष्य इस बात को बढ़ावा देना है कि राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल किया जाए। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मानदंडों के अधिक–से–अधिक अनुपालन का पक्षधर है।

हमारे कार्यक्रम हैं:

- ❖ न्याय तक पहुंच (पुलिस सुधार)
- ❖ न्याय तक पहुंच (कारागार सुधार)
- ❖ सूचना तक पहुंच
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय वकालत और प्रोग्रामिंग

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ चैम्बर, 55 ए, कालू सराय
नई दिल्ली–110016, भारत
फोनः +91-11-43180200
फैक्सः +91-11-26864688
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइटः http://www.humanrightsinitiative.org